भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 326

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: रबी और खरीफ फसलों के लिए इनपुट राजसहायता योजना

326. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जैसलमेर, बालोतरा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर में रबी और खरीफ फसलों के लिए इनपुट राजसहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है और विगत पाँच वर्षों के दौरान उनके खातों में कुल कितनी राशि जमा की गई है;

(ख) क्या उक्त ब्यौरे को तालिका के रूप में जिलों के ब्लॉकवार और वर्षवार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) क्या पात्र किसानों को किसी कारणवश यह राशि प्राप्त नहीं हुई और यदि हाँ, तो ऐसे किसानों का वर्षवार ब्यौरा और संख्या क्या है और इसके कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसे किसानों को यह लंबित राशि वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह राशि उन्हें कब तक प्रदान की जाएगी और कब तक भुगतान की जाने की संभावना है;

(ङ) क्या योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कोई नई प्रणाली लागू की गई है; और

(च) क्या योजना के कार्यान्वयन में कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएँ पाई गई हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): कृषि राज्य का विषय है। हालाँकि, भारत सरकार राजस्थान सहित देश भर में किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राजस्थान सहित सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों,

प्रमाणित बीजों/नई जारी किस्मों/हाइब्रिड के सीड मिनीकिट्स का उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन उपायों, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन पर सहायता प्रदान की जा रही है। खरीफ खाद्यान्न फसलों में चावल, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट्स, तुअर और रबी खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर और दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में मक्का, ज्वार, उड़द और मूंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्यों को फ्लेक्सेबिलिटी भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राजस्थान राज्य को पिछले 05 वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान आवंटित और रिलीज़ किए गए फंड का विवरण निम्नानुसार हैः

(रुपये करोड़ में)

2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
आवंटन	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**
230.96	140.25	199.60	89.50	205.18	97.26	269.88	96.93	277.99	119.94

सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एन.एम.ई.ओ.-ओ.एस.) को भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और राजस्थान सहित पूरे देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन का उद्देश्य रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी, मक्का तेल और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रहण और निष्कर्षण दक्षता में वृद्धि करना है।

बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत समाहित) एक माँग-आधारित योजना है और संबंधित राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, बीज वितरण और अन्य बीज-संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

इस योजना की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कृषि मैपर और सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और होलिस्टिक इनवेंट्री (साथी) पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों को कार्यान्वित किया गया है।

*****